

आदेश

विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा समय-समय पर रीकों को भूमि उपलब्ध करायी जाती है। उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की दरों में राज्य स्तर पर एकरूपता भी रहे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि रीकों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि के बदले उस क्षेत्र में प्रचलित कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर या आवासीय आरक्षित में से जो कम हो वह ली जावे। यह आदेश सक्षम रत्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

Dr 18/3/15
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, रीको राजस्थान जयपुर।
7. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
8. समर्त जिला कलेक्टर।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
12. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
13. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

Dr 18/3/15
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय